उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या – प्र02 वि0 – 54/2009 /भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं के कल्याण एवं उपभोक्ता जागरूकता हेतु उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2010 बनाते है :–

उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली, 2011

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

   i) यह नियमावली बिहार उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली, 2011 कहलाएगी ।

   ii) यह इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी

2. **परिभाषाएँ** :–

जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) 'आवेदक' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत तीन वर्षो से उपभोक्ता कल्याण के कार्यकलापों में संलग्न कोई एजेंसी/संगठन जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ग्राम/मंडल/समिति स्तरीय सहकारी समितियाँ या जिला समार्हत्ता द्वारा अनुशंसित राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसा संगठन/सोसाइटी भी शामिल है जो व्यवहार्य और उपयोगी शोधकार्य में पाँच वर्षो से संलग्न हो तथा जिसने सार्वजनिक उपयोग के या राज्य सरकार के लिए मानक उत्पादों के सूत्रण में उल्लेखनीय योगदान किया हो जो और इसमें नियम 8 के मद (घ) में यथानिर्दिष्ट विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ उपभोक्ता भी शामिल है ।

(ख) आवेदन से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न फारम 'क' में आवेदन;

(ग) 'राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद' से अभिप्रेत है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संर्वधन एवं संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (समय–समय पर संशोधित) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद;

(घ) समिति से अभिप्रेत है, इन नियमों के अनुसरण में गठित समिति;

(ङ.) 'उपभोक्ता' से वही अभिप्रेत है जो इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1), खण्ड 'घ' में दिया गया है और इसमें ऐसे माल के उपभोक्ता शामिल हैं जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया है;

(च) 'उपभोक्ता कल्याण निधि' से अभिप्रेत है बिहार उपभोक्ता कल्याण निधि, 2011,

(छ) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार,

(ज) 'उपभोक्ता कल्याण' के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण शामिल है ।

3. **निधि का संग्रह** :–

   (i) निधि के संग्रह में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई निधि या अनुदान तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान या प्रारंभिक धन सम्मिलित होगा ।

(ii) निधि, पृथक ब्याजयुक्त बैंक खाता में जमा की जायेगी । ऐसे ब्याज का उपयोग राज्य/स्थानीय स्तरीय कार्यक्रमों के वित्त पोषण में किया जा सकेगा।

4. **उपभोक्ता कल्याण निधि का लेखा और अभिलेख संधारण** :–
राज्य सरकार द्वारा बिहार उपभोक्ता कल्याण निधि से संबंधित उचित एवं पृथक लेखा संधारित किया जायेगा और वह महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार द्वारा अंकेक्षण किए जाने के अध्यधीन होगा

5. **समिति का गठन** :–
i) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे यथा :–
(क) प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समिति के अध्यक्ष होंगे ।
(ख) सचिव (व्यय), वित्त विभाग या उनका नाम निर्देशिती, उपाध्यक्ष होंगे
(ग) सचिव, पंचायती राज विभाग या उनका नाम निर्देशिती – सदस्य,
(घ) सचिव ग्रामीण कार्य विभाग या उनका नाम निर्देशिती – सदस्य
(ड.) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग या उनका नाम निर्देशिती – सदस्य
(च) अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
(छ) निदेशक, जनसम्पर्क विभाग या उनका नाम निर्देशिती – सदस्य
(ज) उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली के संयुक्त सचिव/ नाम निर्देशिती
(झ) ऐसे सुविख्यात स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि जिनकी विधिक हैसियत हो तथा जिनका उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकार्ड हो और जिसने उपभोक्ता विवाद समाधान एजेंसियों के त्रिस्तरीय प्रणाली में महत्वपूर्ण उपभोक्ता मामलों में विशेष प्रयास किए हों – सदस्य
(ञ) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग – सदस्य सचिव
(2) समिति, एक स्थाई समिति होगी
(3) इस नियमावली के अनुसरण में गठित समिति इन नियमों में वर्णित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं के कल्याणार्थ राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा धन के उचित उपयोग हेतु अनुशंसाए कर सकेगी ।

(6) **कार्य संचालन प्रक्रिया** :–
(i) जब कभी आवश्यक हो समिति की बैठक होगी किन्तु किन्हीं दो बैठकों का अंतराल छह माह से अधिक का नहीं होगा ।
(ii) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा कि अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उचित समझें ।
(iii) समिति की बैठक की अध्यक्षता उध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(iv) समिति की हरेक बैठक हरेक सदस्य को लिखित नोटिस देकर बुलाई जाएगी जो ऐसी नोटिस निर्गत किए जाने की तारीख से दस दिनों से कम की नहीं होगी ।

(v) समिति की बैठक की हरेक नोटिस में बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट होगा तथा उस बैठक में किए जाने वाले कार्यों का विवरण होगा ।

(vi) समिति की कोई भी कार्यवाही तबतक विधिमान्य नहीं होगी जबतक कि उस की अध्यक्षता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की गई हो और उसमें न्यूनतम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न रहे हों ।

(7) समिति की शक्तियाँ और कृत्य :–

(1) समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :–

(क) किसी आवेदक से निधि प्रदान करने तथा उसके उपयोग के लिए समिति द्वारा विहित करार निष्पादित करने की अपेक्षा करना और करार की शर्तों में चूक किए जाने या उनका उल्लंघन किए जाने की दशा में उसकी वसूली करना;

(ख) आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण वाले ऐसे पुस्तों, लेखा, दस्तावेज, लिखतों या वस्तुओं, जो आवेदक के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो, को अपने समक्ष या सरकार के सम्यक रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की किसी आवेदक से अपेक्षा करना;

(ग) सरकार के सम्यक रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी को ऐसे किन्हीं परिसरों में प्रवेश और निरीक्षण की अनुमति की किसी आवेदक से अपेक्षा करना जहाँ से उपभोक्ता के कल्याणार्थ क्रियाकलाप चलाए जाने का दावा किया गया हो;

(घ) अनुदान की उचित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए लेखा का अंकेक्षण कराना;

(ड.) अनुदान के निबंधनों में कोई चूक किए जाने या उसके द्वारा कोई तात्विक सूचना छिपाए जाने की दशा में स्वीकृत अनुदान एकमुश्त विभाग को वापस करने की किसी आवेदक से अपेक्षा करना;

(च) राजस्व वसूली नियमावली के उपबंधों के अनुसार किसी आवेदक से बकाया कोई राशि की वसूली करना;

(छ) किसी आवेदक से या आवेदकों के वर्ग से अनुदान का उचित उपयोग दर्शाने वाला आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ज) अपने समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को तथ्यात्मक असंगतता या तात्विक विशिष्टियों में अशुद्धि के आधार पर अस्वीकार करना;

(झ) किसी आवेदक को उसकी वित्तीय हैसियत तथा कामकाज के अधीन क्रियाकलाप स्वरूप के महत्व एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि दी गई वित्तीय सहायता का दुरूपयोग नहीं होगा, न्यूनतम वित्तीय सहायता की अनुशंसा करना;

(ञ) उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय करने के प्रयोजनार्थ परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए व्यापक दिशा निर्देश बनाने हेतु राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से अनुरोध करना;

(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

(2) समिति किसी आवेदन पर तबतक विचार नहीं करेगी जबतक कि उसके तात्विक विवरण की जाँच न कर ली गई हो और तदनुसार सदस्य सचिव द्वारा विचारार्थ अनुशंसा न की गई हो । किन्तु, समिति के अनुमोदन के बिना सदस्य सचिव किसी आवेदन को अस्वीकृत नहीं करेंगे ।

(8) **<u>उपभोक्ता कल्याण निधि में उपलब्ध जमा का उपयोग करने के लिए प्रयोजनों का विनिर्देश :–</u>**

निधि का समग्र प्रबंधन, समिति में निहित होगा और वे निम्नलिखित के लिए निधि स्वीकृत करने की अनुशंसाएँ करेगी :–

(क) सरकार द्वारा इन नियमों के तहत किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध कराना;

(ख) राज्य में उपभोक्ता हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य क्रियाकलाप;

(ग) किसी उपभोक्ता विवाद का अंतिम न्यायनिर्णयन हो जाने के बाद परिवादी या परिवादियों के वर्ग द्वारा किए गए विधिक कार्यों की चयनात्मक आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान उपलब्ध कराना;

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/06/2011

(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/06/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/06/2011
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लॉक, पटना एवं अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 7/06/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 7/06/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 7/06/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 7/06/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 54/2009 5468 /खाद्य, पटना, दिनांक/ 9.6.2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ अविलंब विभाग को उपलब्ध करायी जाय। नियमावली की प्रति एवं सी0डी0 इसके साथ संलग्न है।

ह0 7/06/2011
प्रधान सचिव।

फारम – क
(देखें नियम – 2)

महत्वपूर्ण :– कोई ऐसी तात्विक सूचना छिपाए बिना, जिसके छिपाए जाने पर अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाया जाएगा, सत्यापित किये जाने लायक सही स्थिति पर आधारित मांगे गए विवरण सही–सही देते हुये इस फारम को भरे।

1 आवेदक का नाम और डाक का पूरा पता :

2 कंडिका 2 के खंड (क) के अधीन आवेदक की स्थितिः

3 स्थापना की तारीख :

4. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन :

5. यदि हॉ तो रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति अनुलग्न करे) :

6. संगठन किस स्तर का है, राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर का :

7. पदधारकों के नाम, पता और पेशा के साथ– साथ प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या :

8. संगठन का सक्षिप्त ब्यौरा, उदेश्य तथा विगत तीन वर्षो के दौरान क्रियाकलाप :

9. किस प्रयोजन के लिए राशि की अपेक्षा है, (परियोजना तथा इसके प्रस्तावित कार्यान्वयन का विवरण दें) :

10 अपेक्षित अनुदान की राशि – अनावर्ती/आवर्ती के अधीन मदवार ब्यौरा अनुलग्न करें :

11. क्रमबद्व क्रियाकलापों की समय–सारणी :

12. आवेदक द्वारा उपगत/निवेशित या आवेदक द्वारा उपगत की जाने वाली कुल राशिः

13. शेष राशि के वित्त पोषण के स्रोत, क्या संगठन को किसी अन्य सरकारी/गैर सरकारी स्रोत से वित्तीय सहायता मिल रही है? यदि हॉ तो ब्यौरा दें :

14. विगत पॉच वर्षो के दौरान आवेदक के विरूद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई अभियोजन चलाया गया हो, तो उसका ब्यौरा दें :

15. निम्नलिखित दस्तावेज (सम्यक रूप से अनुप्रमाणित) की प्रतियॉ संलग्न करें :

(i) संगठन का गठन और संगम– अनुच्छेद/ज्ञापन

(ii) संगठन का विगत तीन वर्षो का वार्षिक प्रतिवेदन (हरेक वर्ष के लिए पृथक–पृथक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें)

(iii) चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित विगत तीन वर्षो के हरेक वर्ष का वार्षिक अंकेक्षण लेखा विवरण। इन विवरणों पर चार्टर्ड लेखाकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या और शासकीय मुहर या स्टाम्प अवश्य हो।

16. राज्य/केन्द्र सरकार से लिए गये पिछले अनुदानों, यदि कोई हो, का ब्यौरा :

घोषणा

(आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा)

इससे पूर्व दी गई विशिष्टियॉ सत्य और सही हैं। कोई भी तान्विक बात छिपाई नही गयी है। प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने स्कीम को शासित करने वाले दिशा निर्देशों, निबंधनों और शर्तो को पढ़ लिया है तथा अपने संगठन/संस्था की ओर से उनका पालन करने का बचन देता हूँ/देते हैं। यदि वित्तीय सहायता दी जाती है तो उसे उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबर्धन और संरक्षण के लिए या मानक कार्यो के लिए घोषित उपयोग में लगाया जाएगा। (जो लागू नही होते हो, उसे काट दें)।

आवेदक

दिनांक:

स्थान :

सेवा में,

निदेशक – सह– सदस्य सचिव,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

पुराना सचिवालय, पटना – 800015

टिप्पणी : कृपया नोट कर लें कि, उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के साथ फारम क–1 में नीचे दिया गया शपथ पत्र भी अनुलग्न करना है। (10/– रू0 के गैर– न्यायिक स्टाम्प कागज पर टंकित किया जाना है और नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित होगा)

<u>शपथ पत्र</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी...............................निवासी............................ .तथा सम्प्रति एम/एस ....के अध्यक्ष/सचिव के रूप में कार्यरत एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, कि विगत तीन वर्षो के दौरान एम/एस (संगठन का नाम और पूरा पता) ने मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से निम्नलिखित सहायता अनुदान प्राप्त किया है :–

वर्ष					वित्त पोषण करने वाले मंत्रालय/संगठन का नाम	प्राप्त अनुदान की राशि	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृति पत्र सं0 और तारीख

अभिसाक्षी

सत्यापन :

सत्यापित किया जाता है कि, उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है तथा कोई भी बात छिपाई नही गई है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि, यदि एतदद्वारा दी गई सूचना अपूर्ण या गलत पाई जाती है तो उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान रद्द किया जा सकेगा।

आज दिनांक .... वर्ष दो हजार.......................... को सत्यापित।

साक्षी

1.

2.

केन्द्र / राज्य सरकार / विभागों / निकायों के लिए

फारम क– 1

1 आवेदक का नाम, विवरण और डाक का पूरा पता :

2 किस प्रयोजन के लिए राशि अपेक्षित है :

3 अपेक्षित अनुदान की राशि :

4 क्रमबद्व क्रियाकलापों की समय–सारणी :

5 उपभोक्ता कल्याण निधि / उपभोक्ता मामले विभाग से पूर्व के अनुदानों, यदि कोई हो का ब्यौरा

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

सेवा में,

निदेशक – सह– सदस्य सचिव,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

पुराना सचिवालय, पटना – 800015

उपभोक्ता कल्याण निधि मार्गदर्शिका
2011

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु मार्ग–दर्शिका।

1. उदेश्य

उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता का मूल उदेश्य उपभोक्ताओं का कल्याण, सम्बर्द्धन एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के साथ–साथ राज्य में खासकर ग्रामीण परिवेश में स्वंयसेवी/ऐच्छिक संस्थाओं को इस हेतु सुदृढ़ करना है।

2. वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुसार विहित प्रपत्र (फार्म ए0) में आवेदन निम्न पता पर भेजा जायेगा :–

निदेशक–सह– सदस्य सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
पुराना सचिवालय, पटना – 800 015

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं गत तीन वर्षों की अलग–अलग वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित विवरणी, सदस्यों की सूची तथा उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 के तहत अपेक्षित अन्य सूचनाएँ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेजों की राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। संगठन के परीक्षित लेखाओं के विवरणी पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का पंजीयण संख्या और उनके कार्यालय की मुहर/सील अवश्य लगी होनी चाहिए।

उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के माध्यम से जाँचोपरांत अनुशंसित आवेदन निदेशक–सह–सचिव को भेजा जायेगा।

3. वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जायेगी।

- उपभोक्ता साक्षरता के प्रसार हेतु साहित्य और दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार एवं वितरित करने तथा उपभोक्ता शिक्षा हेतु जानकारी बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम।
- क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सुविधा स्थापित करने से संबंधित कार्यक्रम।
- जिला/अनुमंडल स्तर पर उपभोक्ता शिक्षण गतिविधियों को स्थायी आधार पर चलाने हेतु आधारभूत सुविधाये सृजित किये जाने से संबंधित कार्यक्रम।
- उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 में वर्णित प्रयोजनों से संबंधित कार्यक्रम।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त स्थायी समिति की राय में उपभोक्ता कल्याण के संवर्द्धन से संबंधित वैसी योजनाएँ जो अत्यावश्यक सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकती है।

''कम्पोनेन्टस'' जो सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य समझे जायेगे :–

निम्नलिखित मदों में उपभोक्ता कल्याण कोष से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

1. सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित व्यय।
2. ऐसे व्यय जो स्थायी समिति के द्वारा किसी कार्यक्रम/परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनिवार्य समझे जाये।

   नोट :– सामान्य रूप से कर्मियों के वेतन का भुगतान आर्वत्तक रूप से अनुमान्य नही होगा परन्तु किसी परियोजना के संचालन हेतु एक निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रशिक्षित/व्यवासायिक योग्यता रखने वाले कर्मियों पर हुये व्यय की अनुमान्यता पर विचार किया जा सकेगा बशर्ते की यह निश्चित हो सके कि ऐसे नियुक्त कर्मियों की सेवा परियोजना के संचालन के लिए अपरिहार्य हो। यह कि ऐसे कर्मियों पर होने वाला व्यय सम्पूर्ण परियोजना के कुल व्यय के 15 प्रतिशत से अधिक नही होगा। इस प्रकार के व्यय पर निर्णय लेने के क्रम में उस परियोजना के स्वरूप को ध्यानगत रखना होगा। परियोजना के अनुश्रवण से संबंधित होने वाले व्यय का वहन इस कोष से प्राप्त राशि से किया जा सकेगा।

4 जिला पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों के जॉच की प्रक्रिया :–

जिला पदाधिकारी आवेदन अग्रसारित/अनुशंसित करने के क्रम में निम्न तथ्यों का परीक्षण करेगें :–

1. संस्थान के नियम/बायलॉज
2. वार्षिक प्रतिवेदन
3. विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित व्यय प्रतिवेदन
4. चालू एवं अगामी वर्षो का वार्षिक कार्य योजना
5. किन विशिष्ट कारणों से आवेदन अनुशंसित किया गया है।

   I
   II
   III

5. योग्यता

निम्नांकित संस्थाएँ/अभिकरण वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य माने जायेगें :–

(i) कोई संस्था/अभिकरण जो विगत तीन वर्षो से उपभोक्ता कल्याण की गति–विधियों में स्वैच्छिक रूप से संलग्न रहे हो, और ऐसी संस्थाएँ/अभिकरण कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य कानून से निबंधित हो।

(ii) ग्राम/पंचायत/नगर निगम स्तर की उपभोक्ता सहकारी समितियॉ खासकर महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में विगत तीन वर्षो से कार्य कर रहे है।

(iii) औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) के अधीन चिन्हित वैसी औद्यौगिक संस्थान जो विगत पॉच वर्षो से उपभोक्ता हितों की लाभकारी अनुसंधान की गतिविधियों में संलग्न हो और उनके द्वारा जन सामान्य हेतु उत्पादन के ''मानक चिन्हों'' का निर्माण किया गया हो या किया जा रहा हो।

6. वित्तीय सहायता की सीमा

एक आवेदक को वित्तीय सहायता की कुल राशि पॉच लाख से अधिक नही होगी। वित्तीय सहायता अनुमोदित राशि का 90 प्रतिशत होगा। वित्तीय सहायता की राशि का निर्धारण उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 के द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर की वैसी संस्थाएँ जो ग्रामीण क्षेत्र एवं महिलाओं के उत्थान में बेहतर भागीदारी रखती हो को प्रमुखता दी जायेगी।

7. <u>बंधेज एवं शर्ते :—</u>

(i) सहायता राशि का उपयोग किसी राजनैतिक दल के प्रचार हेतु नही किया जायेगा।

(ii) परियोजना की प्रगति/कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रतिवेदन निदेशक—सह—सदस्य सचिव को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) समिति, उपभोक्ता कल्याण कोष से दी गयी वित्तीय सहायता से पूर्णतः या पर्याप्त रूप में अधिग्रहित परिसंपतियों का ब्योरा रखेगा। ऐसी परिसंपतियों को सरकार की पूर्वानुमति के बिना उन प्रयोजनों के अलावा जिनके लिए अनुदान दिया गया है, अन्य कार्यो के लिए उसका <u>निबटारा/ऋृणग्रस्त</u> या इस्तेमाल नही किया जायेगा। यदि संगठन किसी समय अस्तित्व में नही रहता है तो ऐसी परिसंपतियों सरकार को लौटा दी जायेगी।

(iv) समिति के अध्यक्ष, योजना के कार्यान्वयन की मोनिटरिंग अनिवार्य रूप से करेगें और सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

7/06/2011

प्रधान सचिव